भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4005
जिसका उत्तर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

समान नागरिक संहिता

4005. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय अखंडता और एकता के हित में पूरे देश में समान नागरिक संहिता कार्यान्वित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्या य़संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : संविधान का अनुच्छेद 44 उपबंध करता है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। विषयवस्तु की महत्ता और अंतर्वलित संवेदनशीलता तथा मामले में विभिन्न समुदायों को शासित करने वाली विभिन्न स्वीय विधियों के उपबंधो के गहन अध्ययन की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए , सरकार ने भारत के 21वें विधि आयोग को एक समान सिविल सहिंता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की परीक्षा करने और उन पर सिफारिशें करने का अनुरोध किया था।

****